राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 467/2024
रमेश चन्द मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, सिकराय, जिला दौसा से पंचायत समिति, रानीवाडा, जिला जालौर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), दौसा द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का उडनदस्ते के लिये नामांकन किया गया है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वह निर्वाचन कार्य से जुड़ा हुआ है और निर्वाचन आयोग से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण से अपीलार्थी के पुत्रों का अध्ययन बाधित होगा तथा अपीलार्थी अपने परिवार की 1000 किमी. दूर से आकर देखभाल नहीं कर सकता है। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण दो वर्ष के पूर्व ही किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी का निर्वाचन अधिकारी, दौसा द्वारा उडनदस्ते के लिये नामांकन किया गया है। वर्तमान में लोकसभा चूनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बिना स्थानान्तरण नहीं किये जाने का अपीलार्थी का तर्क माने जाने योग्य नहीं है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में किया गया है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण दो वर्ष से पूर्व कर दिया गया है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and*

efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करने के लिये सदैव स्वतंत्र है।

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)